



भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ  
Ministry of Environment, Forest & Climate Change  
Integrated Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगढ़, लखनऊ-226024  
Kendriya Bhawan, 5<sup>th</sup> Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696  
Email: roc.lko-mef@nic.in

पत्र सं० : 8वीं/यू0पी0/06/34/2018/एफ.सी./12

दिनांक: 10.04.2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Others/13881/2015

विषय: कार्योत्तर स्वीकृति (Ex-post-facto) के अंतर्गत अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0-105) किमी0 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम खखलाना के खसरा सं० 1470 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.0768 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गौरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ: मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ०प्र० का पत्रांक 2639/11-सी-FP/UP/Approach/13881/2015, दिनांक 16.0.2023

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उ०प्र० के पत्रांक 619/14-2-2017-800(56)/2017, दिनांक 03.08.2017 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गई थी।

प्रकरण को दिनांक 28.03.2023 को आहत क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक के समक्ष REC एजेण्डा 3.5 (यू०पी०) प्रस्तुत किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) द्वारा प्रकरण को कतिपय बिन्दुओं पर आवश्यक जानकारी के अभाव में आस्थगित (Defer) कर दिया गया था। अतः मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रकरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित आवश्यक सूचना/जानकारी उपलब्ध कराई जाए, जिससे प्रकरण में आगामी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके:-

- 1- The State Govt. needs to initiate disciplinary action against the official concerned for not being able to prevent user of forest land for non-forestry purpose without prior approval of Government of India. A report with full details of violation, authority responsible for violation etc. needs to be submitted by the State Governemnt.
- 2- The penalty for violation shall be equal to NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of violation as reported by the inspecting officer with maximum up to five (5) times the NPV plus 12 percent simple interest till the deposit is made.

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. जिलाधिकारी, अलीगढ़।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।
5. डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि०, ए-5, सेक्टर-3, नोएडा।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डॉ० प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक-3292/11सी-FP/UP/Others/13881/2015 दिनांक, लखनऊ, अप्रैल 11, 2023

प्रतिलिपि- वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में वन संरक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि० ए-5, से०-3, नोएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।